


22/5/25

पत्रावली पेश हुयी। धापी का बक 09R5 की  
जाना बिलानी में खारीज किया जा चुका है।  
इल्लिट अब T.D. पा० पर का क्वी मॉडिटीय  
शेक नहीं रह जाता है इल्लिट पा० पर  
खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल कुमार  
दे कर वर्ज नम्बर से कर का आदेश खुले  
न्यायालय में सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर  
सांभर लोक (जयपुर)